न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 11/2022

बाबुचन्द साव -बनाम- बिनोद साव वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

07.05.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया। तत्पश्चात वादगत भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 लागू करने हेतु अंचल अधिकारी, पीरटॉड़ तथा थाना प्रभारी, खुखरा से वादगत भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, पीरटॉड़ के पत्रांक 120 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें वादगत भूमि से संबंधित उभय पक्षों में विवाद एवं तनाव को प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित भूमि पर द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षों के नाम से नोटिस किया गया एवं निम्नलिखित भूमि को प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
खुखरा	140	78/2	438	1.36 ए.

अंचल अधिकारी, पीरटॉड़ के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित भूमि मौजा खुखरा, खाता नं. 78, प्लॉट नं. 1438, रकवा 2.72 एकड़ जमीन खतियानी रैयती भूमि है। खतियान नेतलाल लाल पिता जिकुलाल लाल के नाम से ऑनलाईन दर्ज है। वर्तमान समय में ऑनलाईन पंजी II में किसी भी रैयत के नाम से यह प्लॉट दर्ज नहीं है। आवेदक बाबुचन्द साव के पिता के नाम से केवाला सं. 6468, दिनांक 27.06.57 द्वारा खाता सं. 78 के विभिन्न प्लॉटों में रकवा 1.91 ए0 भूमि खरीदी प्राप्त है इसी जमीन के मध्ये प्लॉट नं. 1438 में इन्हें 1.36 ए. जमीन प्राप्त है। आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि के चौहदी में उतर दिशा में रास्ता दर्ज है, जो वर्तमान समय में पक्की सड़क है। चौहदी के आधार पर पक्की सड़क के किनारे वाले जमीन पर ये अपना दावा करते हैं। जबकि विपक्षी द्वारा इस जमीन पर घर निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। स्थल जॉच के दौरान विपक्षी से जमीन का कागज मांगने पर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उभय पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए विज्ञ अंचल अधिकारी के द्वारा द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

निर्गत नोटिस के आलोक में केवल प्रथम पक्ष न्यायालय में

उपस्थित हुए एवं द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे। प्रथम पक्ष के द्वारा अपना कारणपृच्छा समर्पित करने हेतु समय की मॉग उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया परन्तु कारणपृच्छा तय समय में समर्पित नहीं किया गया। जिसके कारण उभय पक्षकार का उक्त विवादित भूमि पर दावा का सत्यापन नहीं हो पाया। आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है, अतएव कालअवधि बाधित हो जाने के कारण प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई समाप्त की जाती है एवं अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं संशोधित

07.05.22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

07.05.22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by PREMLATA MURMU
Date: 2022.07.02 15:47:05 +05:30
Location: 192.168.72.100